8

पत्रांक: 2720-2794/क-24/2016-17

प्रेषक,

महानिदेशक,
संस्थागत वित्त
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

दिनांक: 20 जून, 2017

विषय :- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना (पूर्व नाम समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना) के अंतर्गत दावों का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में प्रेषित पत्रांक -1887-1962/क-24/2016-17 दिनांक 30 मई, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से यह अनुरोध किया गया था कि पोस्टमार्टम सूची का ऑडिट करते हुए संबंधित बीमा कम्पनी को प्राप्त कुल दावों (पेड/निरस्त/विचाराधीन जिनकी सूची उपर्युक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है) में से शेष प्रथम दृष्टया पात्र व्यक्तियों के दावा प्रपत्र बीमा कम्पनियों को प्रेषित किये जाय।

2- सूचनीय है कि जनपदवार पात्र लाभार्थियों का एक अनुमान लगाया गया था तद्विषयक सूचना एवं योजना की अवधि समाप्त होने तक जनपद से संबंधित बीमा कम्पनी को भेजे जाने वाले परिपक्व एवं पात्र दावों का लक्ष्य संलग्न है। अनुमान के अनुसार योजनांतर्गत मृत्यु/विकलांगता के 220 दावे योजना की अवधि (12 माह में) आने चाहिये, जिसके सापेक्ष दिनांक 13 जून 2017 (9 माह पूर्ण) तक 69 दावे ही बीमा कम्पनी को प्राप्त हुए हैं।

3- उल्लेखनीय है कि बडे जनपदों में ऐसे पोस्टमार्टम भी होते हैं जो गैर जनपद के निवासी हैं। अतः यह भी अनुरोध है कि गैर-जनपद के निवासियों को भी पत्र के साथ संलग्न प्रचार साहित्य (योजना की जानकारी एवं दावा प्रपत्र) भी प्रेषित कराने का कष्ट करें।

4- इसके अतिरिक्त योजनांतर्गत मृत्यु/विकलांगता के साथ ही साथ दुर्घटना उपरांत चिकित्सीय लाभ भी अनुमन्य है। अतः ऐसे व्यक्ति जो किन्हीं कारणों से कैशलैस सुविधा प्राप्त करने से वंचित रह गये हों। उनकी सूची जनपद के सरकारी चिकित्सालय तथा दो-तीन प्राइवेट चिकित्सालयों (जहां दुर्घटना के सबसे अधिक मामले आते हैं) से प्राप्त कर संलग्न प्रचार साहित्य (योजना की जानकारी एवं दावा प्रपत्र) यदि उन्हें भेज दिया जाय तो वे भी रिम्बर्समेन्ट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Scanned by CamScanner

5- मृतक व्यक्ति का आय-प्रमाण पत्र बनाया जाना तथा योजना में दिये गये प्रावधान के अनुसार यह दुर्घटना की तिथि से 45 दिन पुराना न हो, के संबंध में भी कठिनाई आ रही है। बीमा कम्पनी सहमत हैं कि मृतक के वारिसान के नाम आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाय जिसमें मृतक की आय का भी उल्लेख हो तथा यह आय प्रमाण-पत्र 45 दिन के बाद भी जारी कर दिया गया हो तो केस-टू-केस बेसिस तथा मैरिट के आधार पर बीमा कम्पनी दावों का निस्तारण करेंगी। हालाकि योजना में यह भी प्रावधानित है कि अनौचित्यपूर्ण कारणों से यदि दावा निरस्त किया जाता है तो अंततः जिलाधिकारी का निर्णय बीमा कम्पनी पर बाध्य होगा।

6- योजनांतर्गत अधिकांश जनपदों में लम्बित प्रकरण काफी मात्रा में हैं जिसका कारण दावा प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में समय लगना भी है। अतः जनपद स्तर पर गठित समिति की बैठकें प्रत्येक पक्ष में तथा विकास संबंधी बैठक/राजस्व देयों की वसूली संबंधित बैठक में भी योजना की समीक्षा की जाय जिसमें टी0पी0ए0 तथा इन्वेस्टीगेटर को भी आमंत्रित कर लिया जाय तथा तहसील समाधान दिवस में योजना का प्रचार-प्रसार भी किया जाय जिस हेतु बीमा कम्पनी के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम का अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। अतः जनपद स्तर पर ऐसी कारगर व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित न रहने पाय। अन्यथा की दशा में बीमा कम्पनी के संबंधित प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जाय। आशा है आपके कुशल मार्ग निर्देशन में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित होगा।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश कृष्ण)
अपर निदेशक,
कृते महानिदेशक।

Scanned by CamScanner

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

योजना दिनांक 14 सितम्बर 2016 से 13 सितम्बर 2017 तक प्रभावी

- बीमित व्यक्ति की रेल/रोड/वायुयान से दुर्घटना, किसी भी टकराव, गिरने के कारण चोट, गैस रिसाव, नेवला,, सिलेण्डर फटने के कारण विस्फोट, कुत्ता काटने, किसी भी जंगली जानवर के काटने तथा आक्रमण से, जलना, डूबना, बाढ़ में बह जाना, किसी भी प्रकार से हाथ पैर कट जाना, विषाक्ता, भूकम्प और आकाशीय बिजली आदि से दुर्घटना होने पर मिलेगा योजना का लाभ।
- योजना में पात्रता के लिए मुखिया/रोटी अर्जक का तात्पर्य 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य ऐसे स्त्री या पुरुष से है, जो खातेदार/सहखातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज है।
- ऐसे मुखिया/रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य है तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु 75000 से कम है, वे भी योजना के पात्र हैं।
- पात्र मुखिया/रोटी अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांगता की दशा में मिलेंगे रु. 5 लाख तक।
- पात्र मुखिया/रोटी अर्जक के स्वयं तथा परिवार के समस्त सदस्यों को दुर्घटना होने पर रु 2.5 लाख तक का इलाज मुफ्त। जरूरत पड़ने पर रु 1 लाख तक के कृत्रिम अंग भी लगाये जाने की व्यवस्था।
- पात्र मुखिया/रोटी अर्जक की प्रदेश की सीमा के बाहर भी दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांग होने की दशा में भी मिलेगा लाभ।
- समस्त सरकारी चिकित्सालय तथा 30 बेड से अधिक के एम्पैनेल्ड निजी चिकित्सालय में होगा निःशुल्क इलाज।
- लगभग 1540 चिकित्सालय देंगे निःशुल्क इलाज की सुविधा।
- दुर्घटना होने पर फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय (कम से कम 10 बेड वाले) में रु 25000 तक का प्राथमिक इलाज कराने की भी सुविधा।
- बी0पी0एल0 परिवार को आय प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी योजना में पात्र हैं।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) से सम्पर्क किया जा सकता है।
- मुख्यमंत्री बैंकिंग एवं बीमा हेल्पलाइन - 1520 (24 घण्टे टोल फ्री) पर सम्पर्क करने पर मिलेगी योजना की पूर्ण जानकारी तथा बीमा क्लेम प्राप्त करने हेतु जो प्रपत्र (संलग्न) भरे जाने हैं उसकी सूचना।
- हेल्पलाइन-1520 पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित थाने/चिकित्सालय तथा एम्बुलेंस से समन्वय कर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता।
- यदि कोई पात्र व्यक्ति योजना का लाभ पाने से छूट गया हो, तो दावा प्रपत्र, समस्त कागजात सहित संबंधित बीमा कम्पनी को भेजे।
- मुख्यमंत्री बैंकिंग एवं बीमा हेल्प-लाइन टोल फ्री नं. 1520 व 180030701520 का उपयोग करें।

संबंधित बीमा कम्पनी : ओरिण्टल इ0क0लि0, यूनाइटेड इ0 क0 लि0, न्यू इण्डिया ए0क0 लि0, नेशनल इ0क0लि0

संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

परिवार के मुखिया या रोटी अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांगता की दशा में भरे जाने वाला प्रपत्र

पृष्ठ-1

1. (क) बीमित व्यक्ति ''परिवार का मुखिया या रोटी अर्जक'' (मृतक) का नामः
   (ख) बीमित व्यक्ति के पिता या पति का नाम :
   (ग) बीमित व्यक्ति ''परिवार का मुखिया या रोटी अर्जक'' (मृतक) का पताः
   (घ) पात्रता प्रमाण-पत्र (परिवार के मुखिया या रोटी अर्जक का)

   खतौनी की कापी या तहसीलदार द्वारा जारी रू0 75,000/- से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र में से कोई एक जो लागू हो संलग्न करें। बी0पी0एल0 परिवार को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा कार्ड की प्रति संलग्न की जाय।

   (ड़) आयु प्रमाण-पत्र (परिवार के मुखिया या रोटी अर्जक का)

   (हाईस्कूल प्रमाण-पत्र/बैंक खाते की पासबुक/वोटर आई0डी0 कार्ड/वोटर लिस्ट की प्रति/नगर निगम/नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाइसेन्स/आधार कार्ड/राशन कार्ड की प्रति)(कोई एक संलग्न करें)

   (च) पते हेतु प्रमाण-पत्र (परिवार के मुखिया या रोटी अर्जक का)

   खतौनीधारक/ बी.पी.एल. कार्ड धारक तथा आय प्रमाण पत्र धारक को पते का साक्ष्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। शेष आवेदक (पासपोर्ट /ड्राईविंग लाइसेन्स /राशन कार्ड/ बैंक खाते की पासबुक/ वोटर आई0डी0 कार्ड /आधार कार्ड /उप जिलाधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति) कोई एक संलग्न करें।

2. नामिनी/कानूनी वारिस (जिन्हें हितलाभ की राशि दी जानी है) का विवरणः
   (क) नामिनी/कानूनी वारिस/सों का नामः

   इसका तात्पर्य प्राकृतिक उत्तराधिकारी (यथा पति या पत्नी) के मामले में शपथ-पत्र द्वारा तथा पति या पत्नी न होने की दशा में परिवार के बच्चों के शपथ-पत्र, जिसमें उन्हें कितना हिस्सा मिलना है, से है।

   (ख) पताः
   (ग) मोबाईल नं0:
   (घ) बैंक खाता सं0:
   (ड़) आई.एफ.एस.सी. कोडः
   (च) बैंक शाखा का नाम एवं पताः

   (बैंक का नाम, खाता नम्बर, आई.एफ.एस.सी.कोड दर्शाते हुए उनकी पास बुक की छायाप्रति संलग्न करें।)

3. दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांगता होने पर निम्न दस्तावेज संलग्न किये जाय :-
   (अ) एफ.आई.आर. या जी0डी0 की प्रति तथा

Scanned by CamScanner

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

परिवार के मुखिया या रोटी अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांगता की दशा में भरे जाने वाला प्रपत्र

पृष्ठ-2

(ब) मृत्यु प्रमाण पत्र या पोस्टमार्टम रिपोर्ट या इन्क्वेस्ट पंचनामा या मेडिकल इन्स्पेक्शन रिपोर्ट
(मेडिकल इन्स्पेक्शन रिपोर्ट का आशय स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी चिकित्सालय के चिकित्सक का प्रमाण-पत्र तथा निजी चिकित्सक द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने की स्थिति में स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी /मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित से है)।

(स) दुर्घटना के कारण विकलांग होने की दशा में मुख्य चिकित्साधिकारी/इस हेतु गठित समिति का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

4. यदि जंगली जानवर के काटने से परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक की मृत्यु हो जाती है तो एफ0आई0आर0 एवं कोई एक दस्तावेज (पोस्टमार्टम रिपोर्ट या इन्क्वेस्ट पंचनामा या मेडिकल इन्स्पेक्शन रिपोर्ट) मान्य होगा, संलग्न करें।
5. यदि डूबने या बाढ़ में बह जाने पर परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक का शरीर बरामद न हो तो एफ0आई0आर0 एवं उप जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र मान्य होगा, संलग्न करें।
6. उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (केवल विवादित उत्तराधिकार की दशा में) संलग्न करें।

घोषणा

मै एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य व प्रमाणित है। यदि इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना गलत पायी गयी तो योजना के अन्तर्गत समस्त लाभों से हमें वंचित कर दिया जाएगा तथा आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई का मैं पात्र रहूँगा/रहूँगी ।

साक्षियों का नाम व पता तथा हस्ताक्षर

1.....
.....
2.....
.....

दावाकर्ताओं (नामिनी/कानूनी वारिस) का नाम/ पता/हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा

....

.....

पावती

श्री /श्रीमती..... का मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजनान्तर्गत दावा प्रपत्र ..... बीमा कम्पनी की जनपद.....स्थित शाखा में प्राप्त किया गया है जिसे दो कार्य दिवस के भीतर संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा।

दिनांकः
स्थानः
समयः

शाखा प्रबन्धक, नाम एवं बीमा कम्पनी का नाम
मोहर सहित

पावती संख्याः

कृपया कोई समस्या या कठिनाई होने पर मुख्यमंत्री बीमा एवं बैंकिंग हेल्पलाइन-1520 (टोल फ्री) पर सम्पर्क करें।

Scanned by CamScanner

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक एवं उनके परिवार के सदस्यों की दुर्घटना उपरांत चिकित्सीय लाभ (चिकित्सालय में भर्ती अनिवार्य है) प्राप्त करने हेतु दावा प्रपत्र पृष्ठ संख्या-1

1. (क) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का नाम:
   (ख) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का पता:
   (ग) परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक का नाम:
   (घ) परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक से संबंध:
   (ड़) पात्रता प्रमाण-पत्र (परिवार के मुखिया या रोटी अर्जक का):
   खतौनी की कापी या तहसीलदार द्वारा जारी रू0 75,000/- से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र में से कोई एक जो लागू हो संलग्न करें। बी0पी0एल0 परिवार को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा कार्ड की प्रति संलग्न की जाय।
   (च) परिवार का विवरण
   (परिवार रजिस्टर की प्रति/राशन कार्ड/उपजिलाधिकारी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र)
   (छ) आयु प्रमाण-पत्र (परिवार के मुखिया या रोटी अर्जक का)
   (हाईस्कूल प्रमाण-पत्र/बैंक खाते की पासबुक/वोटर आई0डी0 कार्ड/वोटर लिस्ट की प्रति/नगर निगम/नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाइसेन्स/आधार कार्ड/राशन कार्ड की प्रति)(कोई एक संलग्न करें)
   (ज) पते हेतु प्रमाण-पत्र (परिवार के मुखिया या रोटी अर्जक का)
   खतौनीधारक/ बी.पी.एल. कार्ड धारक तथा आय प्रमाण पत्र धारक को पते का साक्ष्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। शेष आवेदक (पासपोर्ट /ड्राईविंग लाइसेन्स /राशन कार्ड/ बैंक खाते की पासबुक/ वोटर आई0डी0 कार्ड /आधार कार्ड /उप जिलाधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति) कोई एक संलग्न करें।

2. परिवार का मुखिया/रोटी अर्जक के बैंक खाते का विवरण:
   (क) खाताधारक का नाम :
   (ख) मोबाईल नं0:
   (ग) बैंक खाता सं0:
   (घ) आई.एफ.एस.सी. कोड:
   (ड़) बैंक शाखा का नाम एवं पता:
   (बैंक का नाम, खाता नम्बर, आई.एफ.एस.सी.कोड दर्शाते हुए पास बुक की छायाप्रति संलग्न करें।)
3. दुर्घटना का विवरण:
   (क) दुर्घटना स्थल:
   (ख) एफ.आई.आर. या जी.डी.की प्रति:
   (ग) पुलिस स्टेशन का नाम:
   (घ) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति/यों का नाम:
4. चिकित्सालय का विवरण :
   (क) चिकित्सालय का नाम व पता:
   (ख) रजिस्ट्रेशन नम्बर:

Scanned by CamScanner

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक एवं उनके परिवार के सदस्यों की दुर्घटना उपरांत चिकित्सीय लाभ (चिकित्सालय में भर्ती अनिवार्य है) प्राप्त करने हेतु दावा प्रपत्र पृष्ठ संख्या-2

(ग) टेलीफोन नम्बरः
(घ) चिकित्सालय में भर्ती होने की तिथि एवं समयः
(ड़) चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने की तिथि एवं समयः
(च) चिकित्सा में व्यय की राशि(डाक्टर का पर्चा, बिल व कैशमेमो तथा (क) से (च) तक की सूचना चिकित्सक से प्रमाणित कराकर संलग्न करें)

5. कृत्रिम अंग पर व्यय की गयी धनराशि (यदि लागू हो)
(अंग प्रत्यारोपण के विवरण सहित उपर्युक्त प्रस्तर 4 के (च) के अनुसार प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

घोषणा

मै एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य व प्रमाणित है। यदि इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना गलत पायी गयी तो योजना के अन्तर्गत समस्त लाभों से हमें वंचित कर दिया जाएगा तथा आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई का मैं पात्र रहूँगा/रहूँगी ।

साक्षियों का नाम व पता तथा हस्ताक्षर

1.....
.....
2.....
.....

परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक/
का नाम, पता एवं हस्ताक्षर या
निशानी अंगूठा

.....
.....

पावती

श्री/श्रीमती ..... का मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजनान्तर्गत दावा प्रपत्र ..... बीमा कम्पनी की जनपद.....स्थित शाखा में प्राप्त किया गया है जिसे दो कार्य दिवस के भीतर संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा।

दिनांकः
स्थानः
समयः
पावती संख्याः

शाखा प्रबन्धक, नाम एवं बीमा कम्पनी का नाम
मोहर सहित

कृपया कोई समस्या या कठिनाई होने पर मुख्यमंत्री बीमा एवं बैंकिंग हेल्पलाइन-1520 (टोल फ्री) पर सम्पर्क करें।

Scanned by CamScanner